



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240886
CG-DL-E-08122022-240886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5482]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 5482]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ.5718(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3774(अ) तारीख अगस्त 10, 2022 जो क्रमशः भारत के असाधारण राजपत्र तारीख अगस्त 12, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन (बी जी पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी & गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना							
अनुसूची							
राज्य & पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
जलपाईगुरी	राजगंज	पानीकौरी ०३	१२	1909	00	01	04
				1910	00	03	54
				1922	00	02	78
				1923	00	02	71
				1924	00	02	32
				1925	00	02	67
				1926	00	00	09
				1927	00	00	66
				1939	00	00	27
				1940	00	00	75
				2655	00	02	19
				2656	00	02	31
				2657	00	03	79
				2658	00	01	54
जलपाईगुरी	मायनागुरी	उत्तर माधबडांगा	५३	4156	00	05	18
				4157	00	00	16
				4160	00	02	32
				4159	00	07	46
				4144	00	07	24
				4140	00	00	21
				4279	00	05	97
				4283	00	00	32

	4319	00	01	88
	4286	00	00	66
	4308	00	02	18
	4307	00	16	86
	4278	00	03	34
	4277	00	03	00
	4321	00	02	77
	4322	00	06	40
	4276	00	01	37
	4275	00	00	06
	4325	00	08	16
	4324	00	04	27
	4309	00	01	49
	4312	00	16	51

[फा. सं. एल-14014/172/2022-जी-पी-II(ई-44010)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5718(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers **S.O. 3774 (E) dated 10-08-2022** issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated **12-08-2022**, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni–Guwahati Pipeline (BGPL) in the State of **WEST BENGAL** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Jalpaiguri	Rajganj	Panikauri (03)	12	1909	00	01	04
				1910	00	03	54
				1922	00	02	78
				1923	00	02	71
				1924	00	02	32
				1925	00	02	67
				1926	00	00	09
				1927	00	00	66
				1939	00	00	27
				1940	00	00	75
				2655	00	02	19
				2656	00	02	31
				2657	00	03	79
				2658	00	01	54
Jalpaiguri	Maynaguri	Uttar Madhabdanga	53	4156	00	05	18
				4157	00	00	16
				4160	00	02	32
				4159	00	07	46
				4144	00	07	24
				4140	00	00	21
				4279	00	05	97
				4283	00	00	32
				4319	00	01	88
				4286	00	00	66
				4308	00	02	18
				4307	00	16	86
				4278	00	03	34
				4277	00	03	00
				4321	00	02	77
				4322	00	06	40

				4276	00	01	37
				4275	00	00	06
				4325	00	08	16
				4324	00	04	27
				4309	00	01	49
				4312	00	16	51

[F. No. L-14014/172/2022-GP-II(E- 44010)]

RAKESH MISHRA , Under Secy.